रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1987/माघ 24, 1908
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1987/MAGHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1987

का०आ० 77(अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, उद्योग

विकास विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 141(अ), तारीख 31 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची क में, क्रम संख्यांक 11, 16 और 17 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 10/52/85-एल.पी.]

बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1987

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development S.O. 141(E), dated the 31st March, 1986, namely :—

In the said notification, in Schedule A, Sl. Nos. 11, 16 and 17 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 10|52|85-L.P.]

B. SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1987/माघ 24, 1908
No. 62] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1987/MAGHA 24, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1987

अधिसूचना

का. आ. 78 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा 29 ख की उपधारा (2ख) के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में, "लघु उद्योग सेक्टर के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची" शीर्ष के नीचे,—

(1) निम्नलिखित क्रम सं. और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

आरक्षित सूची के क्रम सं.	उत्पादक संकेत सं.	मद का नाम
1	2	3
1. 557	363101	टेबल पंखे
2. 601	364304	दूरदर्शन खेल
3 601ख	364701	पिक अप कारट्रिज
4 603	364803	रेडियो व दूरदर्शन कोइल
5 605	364904	लाउडस्पीकरों का सामान
6. 607	36620301	500 वोल्ट एम्पियर्स तक इवेस्टेर तथा परिवर्तक
7. 608	36620401	रेगूलेटेड डी. सी. पावर सप्लाई 0.01 प्रतिशत तक विनियमन
8. 612	36710101	वायर वाउन्ड रेजिस्टर प्रोफेसनल टाइप के अतिरिक्त
9. 613	367401	आई. एफ. ट्रांसफार्मर

1	2	3
10. 639	374755	पीछे देखने का दर्पण-आटो
11. 655	374884	फ्यूएल लाइन्स-आटो
12. 702	376823	साइकिलों का डायनमो
13. 794	381401	प्रोजेक्टर जिनके अंतर्गत स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं किन्तु प्रोफाइल प्रोजेक्टर नहीं हैं ।"

(2) क्रम सं. 339 क के सामने, स्तंभ (2) और (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"324201	सन्निर्माण के लिए प्रयुक्त चूना और चूना पुताई ।";

(3) क्रम सं. 3398 के सामने, स्तंभ (2) और (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"32420401	सन्निर्माण के लिए प्रयुक्त जलयोजित चूना और चूना पुताई ।" ;

(4) क्रम सं. 349 के सामने, स्तंभ (2) और (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"32990801	150 संख्यांक तक सिलीकोन कार्बाइड क्रासिबल ।";

(5) क्रम सं. 777 के सामने, स्तंभ (2) और (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"38760201	यांत्रिक टाइपराइटरों के लिए टाइपराइटर रिबन ।" ।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29 ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, जिस उपक्रम को उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर छूट प्राप्त नहीं है, ऐसे उपक्रम के कारबार को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही तथा राज्य सरकारों की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही चलाएगा, अन्यथा नहीं ।

[फा. सं. 10/14/86-एल. पी.]

जो. वेन्कटरमणन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ) आई. डी. आर. ए./29ख/73/1 तारीख 16-2-73 में तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

1. अधिसूचना सं. का. आ. 1817 तारीख 18-6-73
2. अधिसूचना सं. का. आ. 671 (अ)/आई. डी. आर. ए/73/3 तारीख 31-10-83
3. अधिसूचना सं. का. आ. 122 (अ) आई डी. आर. ए./74/3 तारीख 26-2-74
4. अधिसूचना सं. का. आ. 123(अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/74/2 तारीख 26-2-74
5. अधिसूचना सं. का. आ. 152 (अ) आई. डी. आर. ए./74/13/तारीख 29-8-74
6. अधिसूचना सं. का. आ. 220 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/275 तारीख 19-5-75
7. अधिसूचना सं. का. आ. 368 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/75/4 तारीख 21-7-75
8. अधिसूचना सं. का. आ. 652 (अ)/आई. डी. आर. ए./75/9 तारीख 13-11-75
9. अधिसूचना सं. का. आ. 406 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/76 तारीख 5-6-76
10. अधिसूचना सं. का. आ. 736 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/75 तारीख 16-12-76
11. अधिसूचना सं. का. आ. 801 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/76 तारीख 17-12-76
12. अधिसूचना सं. का. आ. 249 (अ)/आई. डी. आर. ए./29ख/75 तारीख 4-4-78
13. अधिसूचना सं. का. आ. 281 (अ) तारीख 26-4-78
14. अधिसूचना सं. का. आ. 750 (अ) तारीख 30-12-78
15. अधिसूचना सं. का. आ. 479 (अ) तारीख 22-8-79
16. अधिसूचना सं. का. आ. 563 (अ) तारीख 3-10-79
17. अधिसूचना सं. का. आ. 564 (अ) तारीख 4-10-79
18. अधिसूचना सं. का. आ. 758 (अ) तारीख 24-11-79
19. अधिसूचना सं. का. आ. 761 (अ) तारीख 27-11-79
20. अधिसूचना सं. का. आ. 48 (अ) तारीख 19-1-80
21. अधिसूचना सं. का. आ. 100 (अ) तारीख 18-2-80
22. अधिसूचना सं. का. आ. 193 (अ) तारीख 14-3-80
23. अधिसूचना सं. का. आ. 312 (अ) तारीख 12-5-80
24. अधिसूचना सं. का. आ. 344 (अ) तारीख 23-5-80
25. अधिसूचना सं. का. आ. 594 (अ) तारीख 31-7-80
26. अधिसूचना सं. का. आ. 610 (अ) तारीख 2-8-80
27. अधिसूचना सं. का. आ. 961 (अ) तारीख 24-10-80
28. अधिसूचना सं. का. आ. 868 (अ) तारीख 25-10-80
29. अधिसूचना सं. का. आ. 879 (अ) तारीख 5-11-80
30. अधिसूचना सं. का. आ. 880 (अ) तारीख 5-11-80
31. अधिसूचना सं. का. आ. 115 (अ) तारीख 19-2-81